

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।

उपस्थिति:- प्र०-सतीश कुमार झा

जमानत आवेदन सं०-248/2026

उत्पाद थाना कांड सं०-102/26

बिहार राज्य बनाम् मनोज प्रसाद।

मनोज प्रसाद, पे०-कृष्णा प्रसाद यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष,
साकिन-पुरानी शहर बरबीघा, थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा।आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री गोपाल कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

04.04.2026 काराधीन अभियुक्त मनोज प्रसाद की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं०-102/26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में मात्र गंदी सोच के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक के पास से कोई अवैध सामग्री बरामद नहीं किया गया है, मात्र किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के ख्याल से उक्त मुदालय को झूठा फंसा दिया गया है। उक्त मुदालय को श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा दी जाती है तो इनके फरार होने की संभावना नहीं है। श्रीमान के आदेश से उचित राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदक दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।

उपस्थिति:- प्र०-सतीश कुमार झा

जमानत आवेदन सं०-248/2026

उत्पाद थाना कांड सं०-102/26

बिहार राज्य बनाम् मनोज प्रसाद।

लगातार

04.04.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना को दिनांक 24.02.2026 को समय करीब 06:00 PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि बरबीघा थाना अंतर्गत बरबीघा बाजार में श्रीराम मेडिकल के पीछे मनोज प्रसाद, पिता-कृष्णा प्रसाद यादव के द्वारा विदेशी शराब रखे हुए हैं एवं बिक्री कर रहा है। प्राप्त सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें गृहरक्षक, महिला सिपाही तथा सैप बल के जवानों को छापेमारी दल में शामिल कर समय करीब 06:50 PM बजे गुप्तचर द्वारा बताये अनुरूप बरबीघा थाना अंतर्गत बरबीघा बाजार में श्रीराम मेडिकल के पीछे पुरानी शहर पी०सी०सी० ढलाई गली में पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक उजला रंग का प्लास्टिक का झोला लेकर गली में खड़ा था, ज्योंहि उसकी नजर छापामारी दल पर पड़ी तो उक्त व्यक्ति ने घबड़ाने लगा तो मेरे कहने पर गृहरक्षक के द्वारा उक्त व्यक्ति को पुरानी शहर पी०सी०सी० ढलाई गली में ही पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मनोज प्रसाद, पिता-कृष्णा प्रसाद यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, साकिन-पुरानी शहर बरबीघा, थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा बताया। तत्पश्चात तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार उक्त व्यक्ति के कब्जे वाले उजला रंग का प्लास्टिक का झोला की तलाशी ली गयी, तो तलाशी के क्रम में झोले के अन्दर 1. ANP PREMIUM WHISKY 180 ml का 29 पीस विदेशी शराब, मात्रा- 180 ml X 29 = 05.220 लीटर सभी बोतल पर बैच नं० अंकित नहीं है, (For sale in Hariyana only) 2. 8pm Special Blend of Scotch & Indian Grain Whisky 180 ml का 15 पीस विदेशी शराब, मात्रा- 180 ml X 15 = 02.700 लीटर सभी ट्रेड पैक पर बैच नं०-0707/dt-01-02-26 (For sale in Uttar Pradesh only) 3. Officer's Choice Original Whisky 180 ml का 07 पीस विदेशी शराब, मात्रा- 180 ml X 07 = 01.260 लीटर सभी ट्रेड पैक पर बैच नं०-0989/L-dt-03-02-26 (For sale in Uttar Pradesh only) विदेशी शराब पाया गया। कुल विदेशी शराब की मात्रा-09.180 लीटर बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।

उपस्थिति:- प्र०-सतीश कुमार झा

जमानत आवेदन सं०-248/2026

उत्पाद थाना कांड सं०-102/26

बिहार राज्य बनाम् मनोज प्रसाद।

लगातार

04.04.2026

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 25.02.2026 से काराधीन है। कांड दैनिकी की मांग की गयी थी, परन्तु अभी तक अप्राप्त है। घटनास्थल से 09.180 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रुपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे-संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि---

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. आवेदक के विरुद्ध आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

प्र०- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।

दिनांक 04-04-2026.

Date of Judgment/ Order	04-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	04-04-2026
Uploading Date	06-04-2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।

उपस्थिति:— प्र०—सतीश कुमार झा

जमानत आवेदन सं०—248/2026

उत्पाद थाना कांड सं०—102/26

बिहार राज्य बनाम् मनोज प्रसाद।